"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2009—ज्येष्ठ 15, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से. (1994), आयुक्त, लोक शिक्षण एवं संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, (पर्सनल) सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री विकास शील, भा. प्र. से. (1994), कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

श्री विकास शील द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से. (1992), सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से. (के. एल. 1994), कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री सोनमणि बोराह, भा. प्र. से. (1999), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से. (2000), कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

6. डॉ. रोहित यादव, भा. प्र. से. (2002), कलेक्टर, सरगुजा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा. प्र. से. (2002), कलेक्टर, कोरिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री आलोक अवस्थी, भा. प्र. से. (2002), उप-सचिव, मुख्यमंत्री एवं उप सचिव, विमानन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा. प्र. से. (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

क्रमांक ई-7/3/2006/1/2.— श्री जे. मिंज, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 08-06-2009 से 23-06-2009 (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 07-06-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर स्लोवाकिया की विदेश प्रवास पर जाने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिंज के उक्त अवकाश अवधि में श्री आई. आर. देहारी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.— श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., आयुक्त, लोक शिक्षण एवं मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर को दिनांक 25-05-2009 से 06-06-2009 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-05-2009 एवं 07-06-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर आगामी आदेश तक सचिव (पर्सनल) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.— श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 25-5-2009 से 04-06-2009 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक ई-7/44/2004/1/2.— श्री विकास शील, भा. प्र. से., कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 25-05-2009 से 06-06-2009 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-05-2009 एवं 07-06-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शील आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री शील को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक ई-7/48/2004/1/2.— श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से., संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. रायपुर को दिनांक 25-05-2009 से 06-06-2009 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-05-2009 एवं 07-06-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री द्विवेदी के उक्त अवकाश अवधि में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. रायपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2.— श्री एस. के. कुजूर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 25-05-2009 से 30-05-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-05-2009 एवं 31-05-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री कुजूर के उक्त अवकाश अवधि में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक ई-7/3/2007/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-01-2009 के द्वारा श्रीमती आर. संगीता, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर जगदलपुर को दिनांक 19-01-2009 से 13-02-2009 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्रीमती आर. संगीता को दिनांक 14-02-2009 से 14-03-2009 तक (29 दिवस) का और अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-3-2009 से 4-4-2009 तक (21 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05-04-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक ई-7/12/2007/1/2.— श्री एलेक्स व्ही. एफ. पाल मेनन व्ही, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 02-03-2009 से 29-03-2009 तक (28 दिवस) का लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 30-03-2009 से 13-04-2009 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-03-2009 एवं 14-04-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एलेक्स आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एलेक्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एलेक्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.— श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़, शासन, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 01-06-2009 से 12-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-05-2009 एवं 13, 14 जून 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक ई-7/35/2004/1/2.— श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से., सचिव, छ. ग. शासन, खनिज साधन एवं विमानन विभाग को दिनांक 01-06-2009 से 12-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-05-2009 एवं 13, 14 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वकर्मा आगामी आदेश तक सचिव, छ. ग. शासन, खनिज साधन एवं विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री विश्वकर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वकर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

क्रमांक 1331/376/2009/1-8/स्था.— श्री एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 18-5-2009 से 6-6-2009 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ल को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

क्रमांक 1335/345/2009/1-8/स्था.— श्री डी. के. ठाकुर, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय (निवास) को दिनांक 18-5-2009 से 12-6-2009 तक 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. ठाकुर को अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय (निवास) के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय (निवास) के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक 496/462/2009/1-8/स्था.— श्री गिरीश कोल्हे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 20-05-2009 से 06-06-2009 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कोल्हे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कोल्हे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक 502/456/2009/1-8/स्था.— श्री कौशलेन्द्र सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 25-5-2009 से 6-6-2009 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र सिंह को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कौशलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक 520/482/2009/1-8/स्था.— श्री विनोद गुप्ता, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 25-5-2009 से 6-6-2009 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद गुप्ता को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य-एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक 522/516/2009/1-8/स्था.— श्री एम. डी. दीवान, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 25-5-2009 से 12-6-2009 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डी. दीवान को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. डी. दीवान अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2009

क्रमांक/एफ 1/27/दो-गृह/भापुसे/200.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, छ. ग. को खंड वर्ष 2008-09 में सपत्निक दिनांक 18-05-2009 से दिनांक 30-05-2009 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 31-05-2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए गृह नगर हैदराबाद जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे (2005) को अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

3. श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश मोहंती, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2006.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, भिलाई छ. ग. को खंड वर्ष 2006-09 में निम्नानुसार सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 26-05-2009 से दिनांक 04-06-2009 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए लेह, श्रीनगर, कुल्लू-मनाली जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है :—

01. श्रीमती तिलेश्वरी ठाकुर (पत्नी) 02. कुमारी हेमलता ठाकुर (पुत्री)
03. कुमारी मिनी ठाकुर (पुत्री) 04. आदर्श ठाकुर (पुत्र)

2. श्री पी. एस. ठाकुर भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, भिलाई छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, भिलाई छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, भिलाई छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक एफ 8-2/2009/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, रायगढ़ के बॉयलर क्रमांक सी. जी./245 को दिनांक 14-05-2009 से 31-07-09 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक एफ 8-4/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी., कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3522 को दिनांक 01-04-2009 से 31-08-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2009

विषय :- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2009-10 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन बाबत्.

क्रमांक/1647/एफ-8/4/2009/14-2.—विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2009-10 मौसम में कार्यान्वित करने बाबत अधिसूचना जारी की गयी है, जिसमें राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है :—

1. पृष्ठ क्रमांक-1 में अऋणी किसानों के प्रस्ताव स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2009 दिया गया है, के स्थान पर 31 जुलाई, 2009 किया जाता है.

2. पृष्ठ क्रमांक-1 में दिए गए जुलाई माह के दौरान वितरित ऋण का घोषणा पत्र स्वीकृत करने की समय-सीमा 31 जुलाई दर्शाया गया है, के स्थान पर 31 अगस्त किया जाता है.

3. पृष्ठ क्रमांक-2 में उल्लेखित अधिसूचित फसलों का क्षतिपूर्ति स्तर एवं प्रीमियम दर के अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :—

क्र.	फसल का नाम	प्रीमियम दर		बीमित राशि (प्रति हे.)	
		सामान्य दर (प्रतिशत में)	वास्तविक दर (प्रतिशत में)	निर्धारित उपज दर के मूल्य तक	औसत उपज दर का 150 प्रतिशत समर्थन मूल्य तक
1.	धान असिंचित	2.5	5.60	9080	22698
2.	धान सिंचित	2.5	6.45	20516	38467
3.	मक्का	2.5	6.10	7467	18749
4.	सोयाबीन	3.5	6.10	8065	20158
5.	मूंगफली	3.5	4.70	19700	37294
6.	अरहर	2.5	12.05	5479	13767

4. पृष्ठ क्रमांक-3 में दिए गए आंकड़े देने की अंतिम तिथि अरहर फसल के लिए [illegible] गया है, के स्थान पर 31-05-2010 किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2009

क्रमांक/एफ-20-2/25-2/आजाकवि/2009.—आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियमावली, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विभाग के आदेश दिनांक 26-07-2006 द्वारा आदिमजाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया गया था. उक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नानुसार आदिमजाति मंत्रणा परिषद् का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2.	मान. प्रभारी मंत्री जी, आ. जा. तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री बलीराम कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान. श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान. श्री सोहन पोटाई, सांसद, कांकेर	सदस्य
6.	मान. श्री राम विचार नेताम, विधायक, पाल (अनु. ज. जा.)	सदस्य
7.	मान. श्री सिद्ध नाथ पैकरा, विधायक, सामरी (अनु. ज. जा.)	सदस्य
8.	मान. श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक, धरमजयगढ़ (अनु. ज. जा.)	सदस्य
9.	मान. श्री ननकी राम कंवर, विधायक, रामपुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
10.	मान. श्री फूलचंद सिंह, विधायक, भरतपुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
11.	मान. श्री जागेश्वर राम भगत, विधायक, जशपुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
12.	मान. श्री डमरूधर पुजारी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़ (अनु. ज. जा.)	सदस्य

13.	मान. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, विधायक डोंडीलोहारा (अनु. ज. जा.)	सदस्य
14.	मान. श्री ब्रम्हानंद, विधायक, भानुप्रतापपुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
15.	मान. श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक, कांकेर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
16.	मान. श्री सेवकराम नेताम, विधायक, केशकाल (अनु. ज. जा.)	सदस्य
17.	मान. सुश्री लता उसेण्डी, विधायक, कोण्डागांव (अनु. ज. जा.)	सदस्य
18.	मान. डॉ. सुभाउ कश्यप, विधायक, बस्तर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
19.	मान. श्री भीमा मण्डावी, विधायक, दंतेवाड़ा (अनु. ज. जा.)	सदस्य
20.	मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
21.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ. जा. तथा अनु. जा. विकास विभाग	सचिव

2. विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे. अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक एफ 1-7/2004/25/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति उपरांत पद संरचना के अंतर्गत उप अभियंता के पदों में से 01 पद को समर्पित करते हुए, निम्नानुसार सहायक अभियंता का अतिरिक्त पद एवं उप अभियंता का संशोधित पदों की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पूर्व में स्वीकृत पद संख्या (4)	अतिरिक्त पद संख्या (5)	संशोधित पद संख्या (6)	कुल स्वीकृत पदों की संख्या (7)
1.	सहायक अभियंता	8000-13500	03 (बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर जिले में एक-एक पद के मान से)	01 (रायपुर संभाग के लिए)	-	04 (बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर एवं रायपुर जिले में एक-एक पद के मान से)
2.	उप अभियंता	5000-8000	19 (सरगुजा-02, बस्तर-02, रायपुर-02 एवं कोरिया, जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, दंतेवाड़ा, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा एवं धमतरी में 01-01 पद)	-	18 (सभी 18 जिलों में 01-01 पद के मान से)	18 (सभी 18 जिलों में 01-01 पद के मान से)

2 यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 98/25321/बी-3/चार/09 दिनांक 25-02-09 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक एफ 4-19/2009/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1943 (34 सन् 1948) की धारा 87 एवं धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा (छ. ग.) को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक वर्ष हेतु (अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक) निम्न शर्तों पर छूट देता है :—

(1) कर्मचारियों को वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधा से निम्न स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी.

(2) चिकित्सा हितलाभ के अतिरिक्त अन्य हितलाभ, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को देय होते हैं, संस्थान द्वारा ऐसे ही हितलाभ प्रदाय किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक एफ 1-05/2009/प. प्र. स./चौबीस.—छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष समिति के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण समिति का गठन कर निम्नानुसार प्रतिनिधि पत्रकारों को सदस्य के रूप में नामांकित करता है :—

01. श्री दीपक लाखोटिया, संपादक, प्रखर समाचार धमतरी.
02. श्री संजय शेखर, ब्यूरो चीफ, साधना चैनल.
03. श्री सुशील कोठारी, संपादक, दैनिक सबेरा संकेत.
04. श्री रवि भोई, स्थानीय संपादक, दैनिक नई दुनिया.
05. श्री सुनील कुमार, संपादक, दैनिक छत्तीसगढ़.

2. पत्रकार कल्याण कोष समिति के सदस्य सचिव अपर संचालक, जनसंपर्क होंगे. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. जोशी, अवर सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 3113/700/09/19/तकनीकी.—पथकर अधिनियम (1851 का सं. 8) और जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31/2/87/जी/19 भोपाल, दिनांक 17-01-1987 को अतिष्ठित करते हुए एतद्द्वारा रायपुर जिले में डोंगरीडीह-कसडोल-घटमड़वा मार्ग के कि.मी. 16/6 पर स्थित जोंक नदी (कटनी घाट) पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 01-06-2009 से प्रतिसंहरित करती है.

Raipur, the 29th May 2009

No. 3113/700/09/19/Tech.— In exercise of the powers conferred by section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) and it's application to the State of Chhattisgarh, the State Government in supersession of this department's notification No. F. 31/2/87/G/19, Bhopal, Dated 17-01-1987, hereby revokes the levy of Toll on Jonk River Bridge (Katni Ghat) located at 16/6 km. of Dongridih-Kasdol-Ghatmadwa Road in Raipur District with effect from 01-06-2009.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

क्रमांक एफ 1-118/राजस्व/राहत/2007.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्र. 53 सन् 2005) की धारा 14 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा आपदा प्रबंधन नियम 2006 के नियम 3 के प्रावधान अनुसार, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सी. एस. डी. एम. ए.) का गठन करती है :—

(1)	मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन अध्यक्ष
(2)	राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन उपाध्यक्ष
(3)	श्री सोहन पोटाई, संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कांकेर	सदस्य
(4)	श्री राजू क्षत्रिय, विधायक, निर्वाचन क्षेत्र तखतपुर, जिला बिलासपुर.	सदस्य
(5)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन सदस्य
(6)	श्री शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक, निर्वाचन क्षेत्र भाटापारा, जिला-रायपुर.	सदस्य
(7)	श्री बनवारी लाल अग्रवाल, पूर्व विधायक, निर्वाचन क्षेत्र कोरबा.	सदस्य
(8)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	सदस्य
(9)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
(10)	राहत आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन सदस्य सचिव

प्राधिकरण को ऐसी शक्तियां होगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जैसा कि अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों.

Raipur, the 22nd May 2009

No. F 1-118/Revenue/Relief/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 14 read with section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and the provision of Rule 3 of Disaster Management Rule, 2006, the State Government hereby Constitutes the Chhattisgarh State Disaster Management Authority (CSDMA) as below :—

(1)	Chief Minister, Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Chairperson
(2)	Revenue Minister, Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Deputy Chairperson
(3)	Mr. Sohan Pottai, Member of Parliament Kanker Constituency.	Member

(4)	Mr. Raju Kshatria, MLA Takhatpur, Distt. Bilaspur Constituency.	Member
(5)	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Member
(6)	Mr. Shivratan Sharma, Ex-MLA Bhatapara Distt. Raipur Constituency.	Member
(7)	Mr. Banwari Lal Agrawal, Ex-MLA Korba Constituency	Member
(8)	Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department.	Member
(9)	Principal Secretary,Government of Chhattisgarh, Home Department.	Member
(10)	Relief Commissioner, Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Member Secretary

The Authority shall have such powers and shall perform such function as are given to it under the Act.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

क्रमांक एफ 1-119/राजस्व/राहत/2007.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्र. 53 सन् 2005) की धारा 20 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं आपदा प्रबंधन नियम 2006 के उपनियम 8 के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ राज्य कार्यपालिक समिति का गठन करती है :—

(1)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन अध्यक्ष
(2)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	पदेन सदस्य
(3)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
(4)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
(5)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	पदेन सदस्य

उपरोक्त समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(1) राज्य कार्यपालिक समिति प्राधिकरण को अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता करेगी.

(2) राज्य कार्यपालिक समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, परंतु तीन माह में कम से कम एक बार होगी

(3) राज्य कार्यपालिक समिति ऐसे कार्य करेगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो उसे अधिनियम के अधीन प्रदत्त हैं, अथवा जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो.

(4) राज्य कार्यपालिक समिति का अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो.

(5) आपदा के समय, यदि राज्य कार्यपालिक समिति के अध्यक्ष के मत में तत्काल प्राधिकरण की बैठक बुलाना संभव न हो तो, वह आपदा प्रबंध के लिए प्राधिकरण की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.

(6) आपदा के समय राज्य कार्यपालिक समिति के अध्यक्ष को राज्य शासन के किसी भी कर्मचारी की सेवाएं आपदा प्रबंधन के लिए परिनियोजित करने की शक्ति होगी.

(7) राज्य कार्यपालिक समिति, उप समिति गठित कर सकेगी और ऐसी उप समितियों के अध्यक्ष तथा सचिवों की नियुक्ति कर सकेगी.

(8) राज्य कार्यपालिक समिति किसी भी व्यक्ति को उप समिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध कर सकेगी.

(9) उप समितियों के साथ विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध किए गए व्यक्तियों को ऐसे भत्ते देय होंगे जो राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देशित करें.

Raipur, the 22nd May 2009

No. F 1-119/Revenue/Relief/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 20 read with section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and the provision of Sub Rule 8 of Disaster Management Rule, 2006, the State Government hereby Constitutes the Chhattisgarh State Executive Committee as below :—

(i)	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	Ex-Officio Chairperson
(ii)	Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Health & Family Welfare.	Ex-Officio Member
(iii)	Secretary, Government of Chhattisgarh, Home Department	Ex-Officio Member
(iv)	Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department	Ex-Officio Member
(v)	Secretary, Government of Chhattisgarh, Revenue & Disaster Management Department.	Ex-Officio Member

Work of the above Committee as follows :—

(1) The State Executive Committee shall assist the authority in the discharge of its duties.

(2) The State Executive Committee shall meet as an when necessary but at least once in three months.

(3) The State Executive Committee perform such functions and have such powers as are given to it under the Act or are delegated to it by the authority.

(4) The Chairperson of the State Executive Committee shall exercise such powers as are delegated to him by the authority.

(5) During a disaster, if in the opinion of the Chairperson of the State Executive, it is not possible to call a meeting of the Authority immediately, he may exercise all powers of the Authority to manage the disaster.

(6) During a disaster the Chairperson of the State Executive Committee shall have the power to redeploy the services of any employee of the State Government for Disaster Management.

(7) The State Executive Committee may constitute sub-committers and appoint Chairpersons & Secretaries of such sub-committees.

(8) The State Executive Committee may associate any person as an expert with a sub-Committee.

(9) Persons associated as an expert with sub Committees shall be paid such allowances as the State Government may direct from time to time by order.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

क्रमांक एफ 1-148/राजस्व/आपदा/2007.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम, 2005 का सं. 53) की धारा 25 सहपठित छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन नियम 2006 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करती है :—

1. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रायपुर**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
6.	जिला सेनानी, नगर सेना	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

2. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दुर्ग**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

3. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, महासमुन्द**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

4. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तर बस्तर कांकेर**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

5. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	सदस्य
6.	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सह सदस्य सचिव

6. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

7. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिलासपुर**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	जिला सेनानी, नगर सेना	सदस्य
6.	आयुक्त, नगर निगम	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

8. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राजनांदगांव**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

9. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बस्तर जगदलपुर**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	महापौर, नगर पालिका निगम	सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	पदेन सह सदस्य सचिव

10. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रायगढ़**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	उप सेनानी, नगर सेना	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

11. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कोरबा**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	सेनानी, नगर सेना	सदस्य
6.	आयुक्त, नगर पालिका निगम	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

12. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, धमतरी**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, विद्युत मंडल	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

13. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बीजापुर**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

14. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कबीरधाम**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	जिला सेनानी, नगर सेना	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

15. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जशपुर**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

16. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कोरिया**

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

17. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरगुजा

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

18. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नारायणपुर

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

Raipur, the 22nd May 2009

No. F 1-148/Revenue/Relief/2007.— In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005) read with Rule 3 of Chhattisgarh Disaster Management Rule, 2006 the State Government hereby Constitutes the District Disaster Management Authorities as below :—

1. District Disaster Management Authority, Raipur

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Chief Engineer, Water Resource Deptt.	Member
6.	District Commanded Home Guard	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

2. District Disaster Management Authority, Durg

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	E. E. Water Resource Deptt.	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

3. District Disaster Management Authority, Mahasamund

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	E. E. Water Resource Deptt.	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

4. **District Disaster Management Authority, North Bastar Kanker**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	E. E. Water Resource Deptt.	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

5. **District Disaster Management Authority, South Bastar Dantewada**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Asst. Commissioner Tribal Development	Member
6.	District Food Officer	Member
7.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Member Secretary

6. **District Disaster Management Authority, Janjgir-Champa**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Member
6.	E. E. Public Works Department	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

7. **District Disaster Management Authority, Bilaspur**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	District Commandant Home Guard	Member
6.	Commissioner, Municipal Corporation	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

8. **District Disaster Management Authority, Rajnandgaon**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	E. E. Water Resources	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

9. **District Disaster Management Authority, Bastar Jagdalpur**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Mayor, Municipal Corporation	Member
6.	Chief Conservator of Forest	Member
7.	Addl. Collector/Chief Executive Officer, Zila Panchayat.	Ex-Officio Co-Member Secretary

10. **District Disaster Management Authority, Raigarh**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Deputy Commandant Home Guard	Member
6.	E. E. Water Resources	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

11. **District Disaster Management Authority, Korba**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Commandant Home Guard	Member
6.	Commissioner Municipal Corporation	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

12. **District Disaster Management Authority, Dhamtari**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Executive Engineer, Electricity Board	Member
6.	E. E. Water Resources	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

13. **District Disaster Management Authority, Bijapur**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Member
6.	E. E. Public Works Department	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

14. **District Disaster Management Authority, Kabirdham**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	District Commandant Home Guard	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

15. **District Disaster Management Authority, Jashpur**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	E. E. Public Health & Engineering Deptt.	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

16. **District Disaster Management Authority, Koria**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

17. **District Disaster Management Authority, Sarguja**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

18. **District Disaster Management Authority, Narayanpur**

1.	Collector	Ex-Officio Chairperson
2.	President Zila Panchayat	Ex-Officio Co-Chairperson
3.	Superintendent of Police	Ex-Officio Co-Member
4.	Chief Medical & Health Officer	Ex-Officio Co-Member
5.	E. E. Public Works Department	Member
6.	Chief Engineer, Water Resources Deptt.	Member
7.	Addl. Collector	Ex-Officio Co-Member Secretary

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक 07/अ-82/08-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	रिस्दा	1.00	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कुटीघाट एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक 08/अ-82/08-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	फरहदा	1.41	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	फरहदा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक 09/अ-82/08-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	चिल्हाटी	1.10	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	फरहदा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक 05/अ-82/08-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	करमा	5.25	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	आनंद सागर जलाशय बांध पार निर्माण एवं डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक 06/अ-82/08-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जेवरा	8.71	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	जेवरा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2009

क्रमांक 759/अ.वि.अ./वा./2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कोनार प.ह.नं. 1	0.890	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर छ. ग.	कोनार-जैतपुर मार्ग पर लीलागर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक/1828/भू-अर्जन/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	कटेकल्याण	परचेली	2.51	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	कटेकल्याण जलाशय हेतु नहर/नाली निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 26 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पीठाआमा प. ह. नं. 18	3.985	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	पीठाआमा जलाशय योजना के मुख्य नहर के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	गेजी	0.01	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	जिलीबांध	0.04	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	बेलबहरा	0.03	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	करवां	0.01	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	बरमपुर	0.02	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	दुबछोला	0.03	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	छोटेकलुआ	0.04	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	कदमबहरा	0.03	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	सकरिया	0.01	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	नेवरी	0.03	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	मेण्ड्रा	0.05	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	कोड़ा	0.03	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	कोडा	0.01	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	कन्हारबहरा	0.02	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खडगवां	ठग्गांव	0.03	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक/1772/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया छ. ग.	खड़गवां	बेलकामार	0.02	कलेक्टर, कोरिया (छ. ग.)	दीन दयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खड़गवां, मुख्यालय चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	छुरा	कनेसर	5.81	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कनेसर जलाशय के उलट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	कोपरा	3.82	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, गरियाबंद.	कोपरा से भेण्ड्री मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	भेण्ड्री	1.49	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, गरियाबंद.	कोपरा से भेण्ड्री मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/09/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	सेम्हरा	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, गरियाबंद.	छुरा से रसेला मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक/3666/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-आतरगांव, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.055 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95	0.036
94/3	0.340
93/2	0.120
93/5	0.184
93/3	0.032
93/4	0.160
106/1	0.080
69/4	0.101
69/2	0.232
71	0.120
73/2	0.132
73/4	0.154
28/2	0.084
73/14	0.153
52/1	0.056
45/2	0.307
45/1	0.340
46	0.020
47	0.028
34/1	0.303

(1)	(2)
34/2	0.109
34/5	0.071
28/1	0.220
6/2	0.085
6/1	0.024
2/2	0.072
2/1	0.080
67/1	0.056
66	0.028
35/1	0.016
69/1	0.274
73/1	0.113
94/4	0.052
68/4	0.089
68/7	0.214
73/3	0.202
32/6	0.059
32/5	0.081
29	0.048
73/11	0.168
3/1	0.012
योग	5.055

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-रूमगरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	714/1	**0.32**
	712	**0.16**
योग	2	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रूमगरा हवाई पट्टी के विस्तार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 18 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-राजाआमा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.661 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/1 क	0.405
91/4	0.200
91/7	0.53
74/3	0.405
227/2	0.004
340/3	0.070
114/18 क	1.344
375/2	0.809
492/2	0.315
103/10 क	0.045
103/28 क	0.012
436/6	0.061
91/1 ख	0.350
305/3	1.294
373/1	0.769
167/3	0.324
167/4	0.809
491/1	0.806
167/57	0.836
24/1	0.129
465	0.304
373/2 क	0.203
373/2 ख	0.202
94/1	0.040
225/3	0.096
91/8	0.081
103/35	1.311
155/2	0.032
375/1	0.911
318/1	0.800
451/4	0.101
485/7	0.081
101	0.062
295	0.025
1966	0.020
368	0.069
454/2	0.020
343	0.008
344	0.069
103/5 ख	0.004
506	0.048
370	0.084
114/233	0.109
92	0.049
114/40	0.202
114/41	0.201
114/43	0.101
114/45	0.200
114/46	0.158
375	0.202
167/4 क	0.202
167/38 क	0.809
114/31	0.198
114/32	0.198
114/33	0.194
88/2, 91/5 क	0.166
293/2	0.043
185/2	0.482
541/3	1.493
297/3	0.153
299/1 ग	0.890
योग 61	19.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना के बांध डुबान, स्पील चैनल का पूरक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पूरी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.511 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	40	0.255
	166/4	0.405
	166/12	1.214
	166/14	0.809
	166/20	0.020
	166/21	1.214
	169	1.465
	170	1.627
	171	0.405
	173	0.405
	174	0.040
	177	0.312
	178	0.324
	353	0.524
	176	0.232
	354/3	0.260
योग	16	9.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है-कोसमघाट जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2009

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गढवट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	3217, 3218	0.05
	3219	0.07
योग	2	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 मई 2009

प्रकरण क्रमांक 9 अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.980 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/2	0.624
9/3	0.121
10/2, 11/2	0.404
10/4, 11/4	0.283
10/1, 11/1	0.057
10/3, 11/3	0.616
16	0.279
67, 70	0.700
68, 69	1.105
157/2	0.178
87, 86	0.247
71/2, 151/2	0.283
71/4	0.032
383/7	0.607
383/8	0.607
383/9	0.809
383/10	0.405
383/11	0.405
68 69 | 1	0.141
68 69 | 3	0.057
157/1	0.842
157/3	0.178
योग 22	8.980

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - ठाकुरदिया जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक/क/भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./8/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-बरौण्डा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/4	0.753
226/5	0.806
226/8	0.202
226/9	0.219
226/11	0.101
22[illegible]	0.162
239/1	0.198
239/2	0.222
239/3	0.206
239/4	0.405

	(1)	(2)
	270/1	0.115
	270/2	0.116
	274/1	0.187
	292/1	0.085
	292/2	0.085
	305	0.704
	283/2	0.142
	288/3	0.247
	247/2	0.121
योग	19	5.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सारागांव टारबांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 मई 2009

क्रमांक/635/09/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडी
- (ग) नगर/ग्राम-पथराटोला, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.46 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	292/2	0.01
	301/2	0.05
	279	0.03
	278	0.04
	276	0.06
	368	0.04
	13	0.04
	365	0.02
	367	0.20
	127/3	0.01
	135	0.19
	20	0.01
	370	0.07
	10	0.10
	416	0.11
	171/1	0.01
	271	0.02
	274	0.09
	275	0.02
	277	0.08
	177	0.04
	153	1.00
	364	0.18
	23/1	0.42
	371	0.04
	151	0.16
	12	0.10
	23/2	0.02
	415	0.07
	06	0.10
	36[illegible]	0.03
	91	0.10
योग	32	3.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 मई 2009

क्रमांक/639/04/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-घुरूवाटोला, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	239	0.11
	238/1	0.06
	238/4	0.08
योग	03	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 मई 2009

क्रमांक/714/03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-खपरी, प. ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5/2	0.10
5	0.06
6/1	0.01
6	0.18
6/17	0.24
6/18	0.10
7	0.42
8	0.47
9	0.16
67	0.05
314	0.11
304	0.16
10	0.11
757	0.11
11	0.13
380	0.01
208	0.01
379	0.03
44	0.08
45	0.20
243/2	0.12
378/1	0.04
238/2	0.09
244/4	0.18
242	0.01
238/1	0.10
243/1	0.07
245/3	0.20
327/1	0.12
267	0.02
245/4	0.01
313	0.10
328/2	0.11
64/1	0.26
64/2	0.25

(1)	(2)
77	0.15
73	0.26
206	0.02
347	0.06
209	0.04
215	0.11
210	0.12
211/1	0.11
737	0.05
211/2	0.03
326	0.15
65	0.18
66	0.13
756	0.14
68/1	0.01
244/3	0.15
68/3	0.01
348	0.17
237	0.36
238/4	0.17
268	0.15
309	0.22
310	0.15
307	0.02
306	0.10
746	0.06
747	0.18
749	0.15
755	0.08
754	0.30
8	0.06
384	0.17
385	0.02
386	0.08
458	0.20
461	0.05
462	0.10
464	0.20
465	0.46
216	0.07
231/2	0.14
374	0.06
214	0.02
216	0.11
231/2	0.30
217	0.03

	(1)	(2)
	235	0.32
	367	0.05
	371	0.10
	370	0.17
	692/4	0.27
	587/1	0.14
	587/2	0.11
	692/2	0.44
	692/1	0.47
	691	0.15
	616/2	0.22
	374	0.01
	233	0.02
	232	0.25
	231/1	0.08
	164	0.18
	173/2	0.66
	172	0.15
	171	0.15
	168	0.28
	167	0.17
	163/1	0.19
	158	0.18
योग	104	15.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक/716/199/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-दुधली, प. ह. नं. 78/22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	736/4	0.15
	1131/1	0.17
	1131/2	0.10
	1134	0.21
	1124	0.36
	1125	0.04
	1145/1	0.06
	1145/2	0.09
	1150/1	0.25
	1151	0.07
	1152/1	0.11
	1158	0.01
	1157/1	0.15
	691	0.09
	1137	0.07
	1138/1	0.05
	1156/1	0.16
	1156/2	0.06
	1152/2	0.11
	690	0.26
योग	20	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2009

क्रमांक/450/प्र-1/2009/अ.वि.अ./09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-कांचरी, पं. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.035 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
402	0.04
403	0.03
404	0.035
615	0.03
638	0.06
639	0.08
640	0.075
641	0.06
644	0.02
662	0.04
645	0.035
665	0.105
688	0.035
690	0.03
691	0.02
692	0.03
694	0.075
695	0.03
959/1	0.015
959/3	0.01
960	0.06
968	0.04
975/2	0.03
965	0.02

(1)	(2)
974	0.03
योग 25	1.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2009

क्रमांक/457/प्र-1/2009/अ.वि.अ./09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-भाठासोरही, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172/1	0.05
172/2	0.06
172/3	0.07
196	0.04
197	0.07
201	0.05
202	0.01
203	0.06
205	0.08
206	0.02
207	0.03
210/1	0.02
210/4	0.01
211	0.55
214/1	0.03
214/2	0.05
योग 16	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2009

प्रारूप तेरह
(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्रमांक 65/मिस/टीएस/2006/63/विप्रा/09.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 118 एवं ग्राम टिकरापारा प. ह. नं. 114 में इंटिग्रेटेड टाऊन शिप योजना "कमल विहार" के

संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

चतुर्सीमा निम्नानुसार है :—

उत्तर : ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 114 के शामिल ख. नं. 667, 666, 670/1, 674, 694, 695/1, 695/2, 696, 697, 706, 707, 625 एवं 431 तक.

दक्षिण : ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 118 के शामिल ख. नं. 71/1, 73, 74, 78, 79/2, 79/1 तक.

पूर्व में : ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 118 के शामिल ख. नं. 79/1, 85, 86/1, 86/2, 66/27, 66/60, 66/59, 66/58, 66/57, 40, 42, 44, 45, 6 का भाग 7/1, 8/1-2, 10, 11, 12/1, 12/2, 15/1, 2, 16/2, 17, 96/2, 103/6, 109/1, 111/1-2, 113, 117, 115/2, 116/1 तक तथा ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 114 के शामिल ख. नं. 712, 713, 714, 716, 715 एवं 624 तक.

पश्चिम : ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 118 के शामिल ख. नं. 65/17, 65/1-2-3, 65/15, 65/12, 65/11, 65/9, 66/21, 66/1, 66/59 (उपरोक्त सभी ख. नं. पुराना धमतरी रोड तक) एवं ख. नं. 54, 56/7, 56/1-2-3, 6 तक तथा ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 114 के ख. नं. 682/3, 682/2, 682/1, 673/5, 672, 671, 670/2, 669, 667 तक.

FORM XIII
(See Rule 18)

Town and Country Development Authority

No. 65/मिस/टीएस/2006/63/विप्रा/09.— It is hereby declared and published for the information at the general public under sub section (2) at section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development scheme for Integrated Town ship scheme "Kamal Vihar" at Village Dooda P. H. N. 118 and Tikarapara P. H. N. 114.

Boundries are as follows :—

North : Tikarapara, P. H. N. 114 up to Kh. No. 667, 666, 670/1, 674. 694, 695/1, 695/2, 696, 697, 706, 707, 625 & 431.

South : Dooda P. H. N. 118 up to Kh. No. 71/1, 73, 74, 78, 79/2, 79/1.

East : Dooda P. H. N. 118 up to Kh. No. 79/1, 85, 86/1, 86/2, 66/27, 66/60, 66/59, 66/58, 66/57, 40, 42, 44, 45, Part of 6, 7/1, 8/1-2, 10, 11, 12/1, 12/2, 15/1-2, 16/2, 17, 96/2, 103/6, 109/1, 111/1-2, 113, 117, 115/2, 116/1 and Tikarapara P. H. N. 114 up to Kh. No. 712, 713, 714, 716, 715 and 624.

West : Dooda P. H. N. 118 up to Kh. No. 65/17, 65/1-2-3, 65/15, 65/12, 65/11, 65/9, 66/21, 66/1, 66/59 (All the khasra No. mentioned as above till old Dhamtari Road) and up to Kh. No. 54, 56/7, 56/1-2-3, 6 Tikarapara P. H. N. 114 up to Kh. No. 682/3, 682/2, 682/1, 673/5, 672, 671, 670/2, 669, 667.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष.